संख्या-17/2022/II/152053/2022/71-4002(002)/2/2021-4

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल चिकित्सा एवं स्नातकोत्तर
शैक्षणिक संस्थान, नोएडा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2022

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में बाल चिकित्सा एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा के गैर वेतन मद में पंचम किश्त के रूप में वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एस.एस.पी.एच.एण्ड.पी.जी.टी.आई./2022/334, दिनांक 23.03.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक 2210-05-105-03-0370 बाल चिकित्सा एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा की स्थापना के मानक मद-20 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष पाँचवी किश्त के रूप में बजट आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अधीन बाल चिकित्सा एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा के मानक मद 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 3800.00 लाख के सापेक्ष अब तक चार किस्तों में कुल रू0 2520.00 लाख की स्वीकृत की जा चुकी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संस्थान के पत्र संख्या-एस.एस.पी.एच.एण्ड.पी.जी.टी.आई./2022/334, दिनांक 23.03.2022 के साथ उपलब्ध कराये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र के इन्टिगत बाल चिकित्सा एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा को वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक 2210-05-105-03-0370 बाल चिकित्सा एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा की स्थापना के मानक मद-20 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 3800.00 लाख में से पाँचवी किश्त के रूप में धनराशि रू0 630.00 लाख (रूपया छः करोड़ तीस लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा।
(2) धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में नहीं रखा जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(4) स्वीकृति धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जाएगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना संभव नहीं होगा।

(5) धनराशि को कोषागार से संस्थान के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जाएगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे ।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा FINRMS सिस्टम द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-3591/दस-2021-22 दिनांक 31-3-2022 के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- कोषाधिकारी, नोएडा।
4- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त अधिकारी, सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-2
7- नोडल अधिकारी/संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।